बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–128/2019 – 6108 /पटना, दिनांक– 19/11/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।:–

क्र0 सं0	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	पथ का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिकता की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	प्रति कि0मी0 लागत राशि (लाख में)
1	Jhajha	Chakai	Ramtadih To Mahtodih Via Thakursar	6.500	139.9500	61.4700	13.9950	215.4150	21.5308
2	Jhajha	Sono	Botha To Bojhayet	6.180	135.8800	61.3100	13.5880	210.7780	21.9871
3	Jhajha	Jhajha	Tilbariya To Sugwa Ugani	2.460	51.8000	24.4500	5.1800	81.4300	21.0569
4	Jhajha	Jhajha	Dadpur Borwa Road To Simarka	2.410	48.4800	23.7000	4.8480	77.0280	20.1162
5	Jhajha	Jhajha	Dadpur To Kit Batbajra	2.528	51.9900	25.4800	5.1990	82.6690	20.5657
6	Jhajha	Sona	Aangna Pather To Balio	4.100	84.5200	40.4800	8.4520	133.4520	20.6146
7	Jhajha	Sono	Botha To Bandermara Road	2.150	58.8800	19.5000	5.8880	84.2680	27.3860
8	Jhajha	Jhajha	Borwa To Paranwa	2.800	60.1200	27.6300	6.0120	93.7620	21.4714
9	Jhajha	Jhajha	Madhua To Sahiya Road	5.200	123.0900	51.8900	12.3090	187.2890	23.6712
10	Jhajha	Jhajha	Baratanr To Tarakara Chappa	5.200	112.1700	52.3300	11.2170	175.7170	21.5712
11	Jhajha	Sono	Lakhankiyari Main Road To Tilwariya	3.430	71.7400	33.9800	7.1740	112.8940	20.9155
12	Jhajha	Sono	Naiyadih To Kusoiya	3.550	75.7800	35.6600	7.5780	119.0180	21.3465
13	Jhajha	Chakai	Karharitanr More To Madhopur Das Tola	2.065	54.9300	20.2000	5.4930	80.6230	26.6005
14	Jhajha	Jhajha	Simurtala Jhajha Pwd Road To Kunnodi	3.150	72.5700	30.3900	7.2570	110.2170	23.0381
15	Jhajha	Jhajha	Jamui Jhajha Road To Keshopur Road	0.400	10.3800	4.0200	1.0380	15.4380	25.9500
16	Jhajha	Jhajha	Simultala To Godaia	0.9390	25.0700	8.8600	2.5070	36.4370	26.6986
	Total			**53.0620**				**1816.4350**	

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, झाझा** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

18/11/19

4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **24.10.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 13.11.19 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–128/2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो।यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलबध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–128/2019 के पृ0– 24/टि0 पर दिनांक– 18.11.19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18/11/19

(संजय दूबे)
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–128/2019-6108/पटना, दिनांक– 19/11/19
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/19

अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–128 / 2019 · 6108 / पटना, दिनांक– 19/11/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त, **मुंगेर** / जिला पदाधिकारी, **जमुई** / उप विकास आयुक्त, **जमुई** / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / **मुख्य अभियंता–2** एवं 4, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **मुंगेर** / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **झाझा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/11/19

अपर सचिव